

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज०)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 97/2019

- 1- सांभर साल्ट लिमिटेड जरिये महाप्रबन्धक (कार्य) सांभर
साल्ट लि० सांभरलेक जिला जयपुर राज०
- 2- सम्पदा अधिकारी सांभर साल्ट लि० सांभरलेक जिला जयपुर
.....अपीलान्त

बनाम

- 1- तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज०।
- 2- पटवारी हल्का नांवा तहसील नांवा जिला नागौर।

..... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

- 1-श्री मुकेश कुमार अजमेरा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956


अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2019 न्यायालय
तहसीलदार, नांवा प्रकरण संख्या 2/2018 बअनुवान
पटवारी हल्का नावां बनाम महाप्रबन्धक, अन्तर्गत धारा 91
एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक:25.08.2021

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं० 2/2018 बअनुवान प०ह०नावां बनाम महाप्रबन्ध सांभर साल्ट वगै० में पारित निर्णय दिनांक 28.2.2019 के विरुद्ध पेश किया है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अपीलान्त/अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना




नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नम्बर 1788 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै०मु० समन्दर पर रिफाइनरी व आस आस की भूमि पर मिट्टी डालकर मशीने लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, जो कि सरकार की (गै०मु० समन्दर) की भूमि है। इसलिए अप्रार्थी को बेदखल किया जावे तथा कानूनी कार्यवाही की जावें।

न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट खसरा परिवर्तनशील अनुसार अपीलान्त/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत तलब किया गया। अप्रार्थीगण का नोटिस चस्या से तामील होकर प्राप्त हुए। न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम नावां के खसरा नम्बर 1788 रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म गै०मु० समन्दर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा ग्राम नावां के खसरा नम्बर 1788 रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म गै०मु० समन्दर पर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत् 2074 की वार्षिक लगान दर 2.40 का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 120/- अक्षरे एक सौ बीस रूपये कायम किया गया व पटवारी हल्का को अपीलान्त के विरुद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील मय धारा 105 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 25.10.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सांभर

की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 30.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड (पत्रावली) दिनांक 06.01.2020 को शामिल मिसल किया।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:-

{3}(1)- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां ने प0ह0 नावां की अपूर्ण व अस्पष्ट रिपोर्ट पर अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 25.0.19 को रेस्पोजेन्ट संख्या 02 जो कि अपीलान्ट ने सर्विस कोन्ट्रेक्टर है के विरुद्ध निर्णय पारित कर अपीलान्ट के आधिपत्य ,स्वामित्व व कब्जे की भूमि से बेदखल कराने व जुर्माना वसूल करने के आदेश पारित किये जो कतई न्यायोचित नहीं है और विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(2)- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1788 ग्राम नावां की भूमि को सिवायचक बताते हुये कम्पनी की सर्विस कोन्ट्रेक्टर रेस्पोजेन्ट सं02 के विरुद्ध 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी जबकी उक्त आराजी खसरा नम्बर की भूमि अपीलान्ट की आधिपत्य, स्वामित्व व कब्जे की भूमि है जिस पर कम्पनी द्वारा वर्ष 1961 से लगातार, निर्बाध रूप से नमक उत्पादन व उससे संबंधित गतिविधियां की जा रही है तथा उक्त खसरे की भूमि पर रियासत काल से लगातार नमक उत्पादन का कार्य




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.कल्याणा

सम्पादित किया जा रहा है तथा उक्त खसरे की भूमि सांभर झील की अभिन्न भूमि है।

{3}(3)- यह है कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सांभर साल्टस लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की कम्पनी है। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी निहित है। ऐसी परिस्थिति सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार व राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी की कम्पनी है तथा तहसीलदार स्वयं सरकारी कम्पनी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट. व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

{3}(4)- अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट नवरंगलाल पुत्र रामअवतार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट सं० 02 को नमक उत्पादन करने के लिए अपीलान्त कम्पनी ने उक्त भूमि जरिये टेण्डर दी है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 02 नियमानुसार व टेण्डर के आधार पर सांभर साल्ट के लिए उक्त भूमि पर नमक उत्पादन कर रहे हैं दिनांक 18.11.2019 की पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि जरिये टेण्डर रेस्पोंडेन्ट सं० 2 को नमक उत्पादन करने के लिए सांभर साल्ट लि० ने दी है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के बावजूद प्रकरण में सांभर साल्ट लि० ने सर्विस कोन्ट्रेक्टर रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। जो निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं।

{3}(5)- यह है कि आराजी खसरा नंबर 1788 पुराने खसरा नंबर 302की भूमि है। खसरा नंबर 302,622,996,1800 व 1803 रकबा





अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

6620 बीघा वाकै ग्राम नावां के मिल्कीयत के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार व सांभर साल्ट लि० के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर एक रीट संख्या SB Civil writ perttition No.6958/2004 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 29.2.2012 को निस्तारित करते हुये माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार व सी०एम०डी०,हिन्दुस्तान साल्ट लि० को सम्मिलित करते हुये एक कमेटी कर 6620 बीघा भूमि में मालिकाना हक को निस्तारित करने के लिए आदेश पारित किये हे। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार नावा की जानकारी में होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर केन्द्र व राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी की कम्पनी के विरुद्ध धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करना अनुचित है। जबकि उक्त भूमि कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य की है और विधि पूर्ण प्राधिकार के तहत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है जिसके सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

[3](6)-अधीनस्थ न्यायालय के यह तथ्य सम्पूर्ण जानकारी में थे कि अपीलान्त कम्पनी भारत सरकार व राजस्थान सरकार की संयुक्त हिस्सेदासर की कम्पनी है और विवादित भूमि सांभरझील की भूमि है तथा इसके सम्बन्ध में पूर्व से ही प्रकरण मुख्य सचिव के यहां लम्बित है और विवाद दोनो सरकारो के मध्य है ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की गहनता से कोई जांच न कर केवल मात्र सरसरी तौर पर विवादित निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। जो खारिज किये जाने योग्य हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तथ्यो को ध्यान में रखते हुये गहनता पूर्वक जांच कर निर्णय पारित करना चाहिये था।

[4]- प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना



अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 25.10.2019 को इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको दिनांक 26.9.2019 को अपीलान्ट सं०2 सम्पदा अधिकारी राजकीय कार्य से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां में गये तब सम्पदा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी करने पर पता लगा कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.5.2019 को ही उक्त प्रकरण का निस्तारण हो गया है, कि जानकारी होने पर उसी दिन दिनांक 26.9.2019 को प्रमाणित नकल प्राप्त की तथा अपील न्यायालय में 25.10.19 को पेश की गई है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है। अतः दिनांक 28.5.2019 से 26.9.2019 के बीच अपील करने में हुआ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

{5} -वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो निम्न है:-

{5}(1)-यह है सांभर झील का कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमील है अर्थात् 233.10 वर्ग किलोमीटर है। खसरा नम्बर 302, 622, 996 किता तीन कुल रकबा 6620 बीघा 19बिस्वा है जो ग्राम नांवा में स्थित है जो सांभर झील की अभिन्न भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ सांभर




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

साल्टस लिमिटेड की स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि पर बिट्रिस समय के पूर्व से ही नमक उत्पादन का कार्य किया जाता रहा है। बिट्रिस ने अपने समय में नमक उत्पादन करने के लिए पक्के क्यार, कैनाल, आफिस, रेल लाईन नेरोगेज व मीटरगेज, कुवें, विधुत लाईन इत्यादि का निर्माण करवाया था। तब से ही उक्त संरचनाएँ बनी हुई हैं तथा वर्तमान में अपीलान्ट कम्पनी द्वारा उक्त संरचनाओं का उपयोग उपभोग कर भारत वर्ष की आम जनता के लिए नमक उत्पादन का कार्य कर रही है।

{5}(2) - यह है कि कम्पनी द्वारा भारत की आम जनता को उच्च क्वालिटी व पूर्ण शुद्ध नमक उपलब्ध करवाने हेतु रिफाईनरी का निर्माण किया है। माननीय तहसीलदार साहब नांवा द्वारा बिट्रिश समय से बने क्यार व भारत सरकार व राज्य सरकार के संकल्प से बनी उक्त रिफाईनरी को अतिक्रमण मानते हुए बिना कम्पनी का पक्ष सुने हटाना चाहते हैं। जबकि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ सांभर साल्टस लिमिटेड की भूमि है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति के निर्णयनुसार दिनांक 13.10.1959 को पत्र जारी कर सम्पूर्ण सांभर झील व नमक कार्य के स्वामित्व व प्रबन्धन को हिन्दुस्तान लिमिटेड को हस्तांतरण कर दिया था। तब से हिन्दूस्तान लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड का सम्पूर्ण झील का स्वामित्व व प्रबन्धन कम्पनी के पास है तथा नमक उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

{5}(3) - यह है कि वर्ष 1961 में सम्पूर्ण झील के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसके तहत 99 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा सांभर झील में नमक उत्पादन का कार्य किया जायेगा। गजट के पैरा नम्बर 07 में भारत सरकार




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

व राजस्थान सरकार दोनों ने श्री वी०टी० कृष्णामाचारी अवार्ड के निर्णयों को स्वीकार किया और निर्णय के अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प किया । इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/साँभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि है।

{5}(4) –यह है कि वर्ष 1983 में स्वयं तहसीलदार नांवा ने भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अपेन पत्र क्रमांक 6266 दिनांक 10.11.83 में स्पष्ट रूप स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 302, 622, 996 व अन्य खसरा नम्बर जो नांवा में स्थित है। जिनका रकबा साँभर झील में आता है। भारत सरकार द्वारा कम्पनी को स्वामित्व हस्तांतरण किया गया तथा भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

{5}(5) –यह है कि यह कि 1987 में साँभर झील का सीमाज्ञान किया गया था। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण झील का कुल क्षेत्रफल 233.10 वर्गमीटर है।

{5}(6) – यह है कि उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक :व०शा०टीप व 016(90)उद्योग 2/93 पार्ट जयपुर दिनांक 18.10.94 को राजस्व विभाग का स्पष्ट निर्देश दिया था कि उक्त भूमि साँभर साल्टस लिमिटेड को लीज पर होने की स्थिति में राजकीय सिवायचक कृषि भूमि नहीं है तथा खुदकाशत के लिए आवंटन के लिए भी उपलब्ध नहीं है तथा अन्य व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द करें।



ke
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

{5}(7)- यह है कि राजस्व विभाग (3) ने अपने पत्र क्रमांक :
3(24)राज.-3/2 जयपुर दिनांक 27.12.02 व पत्र क्रमांक
-8(5)राज.-4/2000 दिनांक 22.11.02 के अनुसार उक्त भूमि को
सांभर साल्टस लिमिटेड की लवण भूमि मानते हुए आवंटन नहीं
करने के निर्देश दिये। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण झील की भूमि
हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड की आधिपत्य
व स्वामित्व की भूमि है।

{5}(8)- यह है कि 13.02.1924 को असिस्टेन्ट सेटलमेंट आफिस
राज. मारवाड़ ने रजिस्ट्रार महकमा खास जोधपुर के लिखे पत्र में
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त 6620 बीघा भूमि पर साल्ट
ऑथरिटी का कब्जा है तथा संवत् 1981 की खतौनी मौजा नांवा के
अनुसार उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए 9043 बीघा 10 बिस्वा
भूमि परमठ व समन्द के नाम से दर्ज है जो सांभर झील की भूमि
है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में झील को समन्द पुकारते हैं।
इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सांभर झील की भूमि है।

{5}(9)- यह कि वर्ष दिनांक 07.01.1901 को कमिश्नर नोर्थन
इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा का पत्र जो असिस्टेन्ट कमिश्नर
एन०आई०साल्ट रेवेन्यू सांभर को लिखित पत्र में झील की सीमाज्ञान
रिपोर्ट को अंकित किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि
हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड की स्वामित्व
की भूमि है।

{5}(10)- यह है कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सांभर साल्टस
लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की
कम्पनी है। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी निहित है। ऐसी परिस्थिति सांभर साल्ट लिमिटेड भरत सरकार व राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी की कम्पनी है तथा तहसीलदार स्वयं सरकारी कम्पनी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट. व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

[5](11)– यह है कि रिफाईनरी जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के प्लान फण्ड से बनायी गई है तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर की पूर्व अनुमति से बनायी गई हैं उक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल पांच सदस्य हैं। जिनमें दो सदस्य भारत सरकार के दो सदस्य राजस्थान सरकार के हैं जिसमें एक सदस्य रेवेन्यु सेक्रेटरी व एक सदस्य कमिश्नर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार से है तथा एक सदस्य स्वयं सी०एम०डी० हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के बोर्ड सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रिफाईनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पूर्ण जानकारी व पूर्व अनुमति से उच्चतम गुणवत्ता का शुद्ध नमक बनाने के लिए बनायी गई है। जो राज्य सरकार व भारत सरकार के संकल्प पर बनायी गई है।

[5]12)– यह कि 6620 बीघा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने माननीय चिफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार निर्देश दिये हैं कि वह अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी कठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करें। उक्त वाद आज भी माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के पास लम्बित है। उक्त रीट में राजस्व सेक्रेटरी खुदकाश्त कमीश्नर, जिला कलेक्टर नागौर एस०डी०एम० नागौर व अन्य सम्बन्धीत पक्षकार को पक्षकार कायम किया गया है। रीट संख्या SB Civil writ perttition No.6958/2004 है। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना




नावां की जानकारी में होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर केन्द्र व राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी की कम्पनी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करना अनुचित है। जबकि उक्त कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य की है और विधि पूर्ण अधिकार के तहत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है जिलसके सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

[5](13)– यह है कि वर्ष 2011 में सम्पूर्ण झील का सीमाज्ञान करवाने हेतु कम्पनी द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी को सीमाज्ञान शुल्क 14,09,240 रुपये जमा करवाये गये हैं जिसकी रसीदे संलग्न है।

[5](14)–यह है कि वर्ष 2017 में सम्पूर्ण झील का सेटलमेन्ट आपरेशन किया जा चुका है, जिसके तहत झील के दो राजस्व ग्राम बनाये गये हैं राजस्व ग्राम सांभर झील नावा जिसका खसरा नम्बर (1)रकबा 11013 हैक्टेयर है। राजस्व ग्राम सांभर झील फुलेरा जिसका खसरा नम्बर (1) रकबा 8539 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण झील का ऐरिया का स्वामित्व व आधिपत्य हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड का है। सहवन से उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया है। जिसके लिए कम्पनी ने राज्य सरकार को उक्त गलती को दुरुस्त कर सम्पूर्ण भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के नाम दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया है। जो कि विचाराधीन है।

[6] – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नावा की रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 1790 रकबा 7.00 हैक्टर बा.2 पर नमक क्यार, व ट्यूबवैल बनाकर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्त अधिवक्ता




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डी.ड.वा.ना


ने अपनी बहस में यह निवेदन किया है कि जिस भूमि पर उनकी कम्पनी सांभर साल्टस लिमिटेड ने रिफाईनरी का निर्माण किया है उक्त रिफाईनरी को अतिक्रमण मानते हुए हटाना चाहते हैं जबकि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड की भूमि है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति के निर्णयानुसार दिनांक 13.10.1959 को पत्र जारी कर सम्पूर्ण सांभर झील व नमक कार्य के स्वामित्व व प्रबन्धन को हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया था, तब से हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्ट लिमिटेड का सम्पूर्ण झील का स्वामित्व व प्रबन्धन कम्पनी के पास है तथा नमक उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 1961 में सम्पूर्ण झील के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि 99 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा सांभर झील में नमक उत्पादन का किया जायेगा। इस गजट के पैरा 7 में भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों ने श्री वी०टी० कृष्णामचारी अवार्ड के निर्णयों को स्वीकार किया ओर निर्णय के अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि है। वर्ष 1983 में स्वयं तहसीलदार नावा ने भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अपने पत्र क्रमांक 6266 दिनांक 10.11.83 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ख०न० 302, 622, 996 व अन्य खसरा नम्बर उक्त सांभर झील की भूमि है वर्ष 1987 में सांभर झील का सीमाज्ञान किया गया था जिसके अनुसार सम्पूर्ण झील का कुल क्षेत्रफल 233.11 वर्ग किलामीटर की उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक व.शा.टी.सं० व 016 (90) उद्योग 2/93 पार्ट जयपुर दिनांक 18.10.04 को राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिये




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डी०वा०

थे कि उक्त भूमि सांभर साल्टस लिमिटेड लीज पर होने की स्थिति में राजकीय सिवायचक कृषि भूमि नहीं है तथा खुद काश्त के लिए आवंटन हेतु भी उपलब्ध नहीं हैं तथा अन्य व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द करें। राजस्व विभाग (3) ने अपने पत्र क्रमांक 3(24) राज० 3/02 जयपुर दिनांक 27.12.02 व पत्र क्रमांक 8(5)राज/4/2000 दिनांक 22.11.02 के अनुसार उक्त भूमि को सांभर साल्ट लिमिटेड की लवण भूमि मानते हुए आवंटन नहीं करने के निर्देश दिये। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्ट लिमिटेड की आधिपत्य व सामित्व की भूमि है।

दिनांक 13.2.1924 के असिस्टेंट सेटलमेंट आफिस राज. मारवाड ने रजिस्ट्रार महकम खास जोधपुर को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त 6620 बीघा भूमि पर साल्ट ऑथरिटी का कब्जा है तथा संवत् 1981 की खतौनी मौजा नावां के अनुसार उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए 9043 बीघा 10 बिस्वा भूमि परमठछ व समन्द के नाम से दर्ज है जो सांभर झील की भूमि है स्थानीय बोलचाल की भाषा में झील को समन्द पुकारते हैं। दिनांक 7.1.1901 को कमिश्नर नार्थ इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा का पत्र जो असिस्टेंट कमिश्नर एन.आर्य. साल्ट रेवेन्यू सांभर को लिखे पत्र में झील का सीमाज्ञान रिपोर्ट को अंकित किया गया है। इससे भी उक्त भूमि सांभर साल्ट लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि है। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सांभर साल्टस लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की कम्पनी है जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की हिस्सेदासरी है रिफाईनरी जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के प्लान फण्ड से बनायी गयी है। उक्त बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर में कुल पांच सदस्य है जिनमें दो सदस्य भारत सरकार के व दो सदस्य


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.ब.ना



राजस्थान सरकार के है जिमें एक सदस्य रेवेन्यू सेकट्री व एक सदस्य कमिश्नर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार है तथा एक सदस्य स्वयं सी.एम.डी. हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ सांभर साल्टस लिमिटेड के बोर्ड सदस्य हैं। इस स्पष्ट है कि उक्त रिफाईनरी बोर्ड आफ डायरेक्टर की पूर्ण जानकारी व पूर्व अनुमति से उच्चतम गुणवक्ता का शुद्ध नमक बनाने के लिए बनाई गयी है जो राज्य व भारत सरकार के संकल्प पर बनाई गयी है।

6620 बीघा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को निर्देश दिये है कि वह अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करें। उक्त वाद आज भी माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के पास लम्बित है। उक्त रिट में राजस्व सचिव खुदकाशत कमिश्नर जिला कलक्टर नागौर, एस.डी.एम. नागौर व अन्य सम्बन्धित पक्षकार है। रिट सं० SB Civil writ perttition No.6958/2004 है। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार नावां की जानकारी में होने के बावजूद जैर कानूनी तोर पर केन्द्र व राज्य सरकार की सयुंक्त भागीदारी की कम्पनी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना अनुचित है। जबकि उक्त भूमि कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य की है और विधि पूर्ण प्राधिकार के तहत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसके सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

वर्ष 2011 में सम्पूर्ण झील का सीमाज्ञान करवाने हेतु कम्पनी द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी सीमाज्ञान शुल्क 14,09,240.00 रुपये जमा करवाये गये है। वर्ष 2017 में सम्पूर्ण झील का सेटलमेन्ट आपरेशन




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया जा चुका है जिसके तहत झील के दो राजस्व ग्राम बनाए गए हैं। राजस्व ग्राम सांभर झील नंवा जिसका खसरा नम्बर (1) रकबा 11013 हैक्टर है। राजस्व ग्राम सांभर झील फुलेरा जिसका ख०नं० (1) रकबा 8539 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण झील के ऐरिया का स्वामित्व व आधिपत्य हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड का है। सहवन से उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया है। जिसके लिए कम्पनी ने राज्य सरकार को उक्त गलती को दुरुस्त कर सम्पूर्ण भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के नाम दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है जो कि विचाराधीन है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण भूमि सांभर झील की भूमि है। जो हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। जिस पर कम्पनी विधि पूर्ण प्राधिकार के तहत कार्य कर रही है तथा तहसीलदार नावां द्वारा कम्पनी के क्यार व रिफाईनरी को हटाने के दिए गए आदेश बिना किसी विधिक अधिकार व विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि सांभर साल्टस लिमिटेड द्वारा पेश तथ्यों एवं दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि उक्त रिफाईनरी/कम्पनी भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन से भारत सरकार व राज्य सरकार की हिस्सेदारी में निर्मित हुई है तथा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी भारत एवं राज्य सरकार के अधिकारी हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार SB Civil writ perttition No.6958/2004 में माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को भी उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करने





अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डी.ना.

के आदेश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2019 में लीज की वर्तमान स्थिति एवं लीज होल्डर द्वारा सबलेट करने के अधिकारों एवं अन्य दस्तावेजात की गहन जांच कर उनका विवेचन नहीं किया जाकर साधारणतौर पर निर्णय पारित कर दिया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश के मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आदेश ::::


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वाकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.05.2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सांभर साल्ट लिमिटेड सांभर लेक जिला जयपुर की लीज की वर्तमान स्थिति, लीज होल्डर को सबलेट करने के अधिकार के सम्बन्ध में एवं इसके सम्बन्ध में समस्त दस्तावेजात की गहन जांच करने के उपरान्त नये सिरे से निर्णय पारित करें। महाप्रबन्धक (कार्य) सांभर साल्ट लिमिटेड सांभर लेक जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात तहसीलदार नावां के समक्ष दिनांक 20.09.2021 को पेश करें।




रिछपाल सिंह बुरडक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




रिछपाल सिंह बुरडक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)